

प्रधान आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी दिल्ली उत्तर
सी.आर.बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा.सं. Hqrs./GST/North/Vehicle Tender/18/2018/16637/30.11.2018

दिनांक

विषय: माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दिल्ली उत्तर के प्रधान आयुक्त कार्यालय के उपयोग हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के लिए संविदा अवधि पर वाहनों को किराए पर लेने के लिए प्रस्ताव/नोटिस आमंत्रित करने के लिए अनुरोध।

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) उत्तरी दिल्ली के प्रधान आयुक्त कार्यालय की ओर से सहायक आयुक्त, (मुख्यालय) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) उत्तरी दिल्ली, सीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली प्रतिष्ठित एवं इच्छुक टैक्सी ऑपरेटरों से दो निविदा यानी तकनीकी और वित्तीय निविदा को शामिल करते हुए, टैक्सी ऑपरेटरों को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वाणिज्यिक नंबर वाली कारें अपने कार्यालय सीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली में उपयोग के लिए ऑनलाइन बोली / कोटेशन आमंत्रित करते हैं।

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	मासिक आवश्यकता	वाहन का निर्माण	प्रति वाहन प्रति माह अधिकतम स्वीकार्य दर	आवश्यक वाहन की संभावित संख्या
1	होंडा सिटी, डिजायर, एकसेंट, वेरना, इटियोस, होंडा अमेज, अर्टिगा, सियाज या इसी तरह के वाहनों	अधिकतम सीमा 2500 किमी और महीने में 30 से 31 दिन	2015 मॉडल से पुराना नहीं है।	रु. 40,000/- (प्लस) लागू जीएसटी	39 (लगभग)
2	मारुति टूर, 120, पोलो या इसी तरह के वाहन	अधिकतम सीमा 2000 किमी और महीने में 25 से 26 दिन	2015 मॉडल से पुराना नहीं है।	रु. 30,000/- (प्लस) लागू जीएसटी	9 (लगभग)

- एक भी कार वाला विक्रेता आवेदन कर सकता है। जब तक आवश्यक वाहन की कुल संख्या प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वाहन को न्यूनतम से उच्चतम बोली मूल्य तक प्रारंभिक रूप में लिया जाएगा।
2. विभाग उस समय आवश्यकता के अनुसार किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या में कभी भी परिवर्तन कर सकता है।
3. निविदा दस्तावेज 01.12.2018 से <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.gstdelhizone.gov.in फॉर्म ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट

पोर्टल (<https://eprocoure.gov.in/eprocoure/app>) के माध्यम से ऑनलाइन बोली/उद्धरण जमा करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में मैनूअल/ऑफलाइन बोली/उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट <https://eprocoure.gov.in/eprocoure/app> नियमित रूप से देखें। निविदा में कोई भी परिवर्तन/संशोधन शुद्धिपत्र द्वारा केवल इस वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5. जमा करने की अंतिम तिथि अपराहन 3 बजे 13.012.2018 तक है। बोली/उद्धरण दिनांक 14.0212.2018 को अपराहन 3 बजे खोली जाएगी। यदि सरकार द्वारा निविदा खोलने के दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोली/उद्धरण अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी।

6. यदि केवल एक बोली/उद्धरण प्राप्त होता है, तो 7 दिनों का एक और विस्तार दिया जाएगा और उसके बाद प्राप्त बोली/उद्धरणों का मूल्यांकन किया जाएगा।

7. प्रधान आयुक्त, जीएसटी उत्तरी दिल्ली आयुक्तालय को बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में प्रधान आयुक्त का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

8. यदि किसी स्तर पर, निविदा प्रक्रिया से पहले/बाद में, यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण/दस्तावेज झूठा/भ्रामक/गढ़ा हुआ है, तो उसकी बोली उस संबंध में उपयुक्त शुल्क के साथ अस्वीकृति/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसी अस्वीकृति/अयोग्यता बोली/उद्धरण खोले जाने के बाद होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले को अस्वीकार/अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो प्रधान आयुक्त, जीएसटी उत्तरी दिल्ली आयुक्तालय के पास अगले बोलीदाता पर विचार करने या कोई भी उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें चयन प्रक्रिया को रद्द करना भी शामिल है।

9. बोली/उद्धरण जमा करने की नियत तारीख से पहले किसी भी समय, उप/सहायक आयुक्त (मुख्यालय) किसी भी कारण से चाहे अपनी पहल पर या फर्मी द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के किसी भी जवाब में, एनआईटी दस्तावेजों को संशोधित कर सकते हैं। संशोधन द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

10. बोली/उद्धरण 14.012.2018 को अपराहन 3 बजे उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो बोली/उद्धरण के उद्घाटन के दौरान उपस्थित होना चाहते हैं। तकनीकी बोली/उद्धरण पहले खोली जाएगी और वित्तीय बोली/उद्धरण तकनीकी बोली मूल्यांकन के बाद खोली जाएगी।

11. सभी बोलीदाताओं को तकनीकी/शारीरिक जांच के लिए दिनांक 15.012.2018 को निरीक्षण के लिए वाहन/वाहनों को लाना होगा।

12. जिस बोली/उद्धरण के लिए निकासी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उसे नहीं खोला जाएगा। केवल उन्हीं बोली/उद्धरणों पर विचार किया जाएगा जो नियत तारीख और समय को या उससे पहले प्राप्त होती हैं और जिनमें वांछित सभी जानकारी होती है।

13. निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए है लेकिन सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी सेवा प्रदाता से उन वाहनों को बदलने के लिए कह सकता है जो निर्धारित सीमा से अधिक पुराने हैं या परिकल्पित मानकों से मेल नहीं खाते हैं।

14. तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए नियम और शर्तें, प्रारूप और घोषणा के प्रारूप इसके साथ संलग्न हैं।

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)
जीएसटी उत्तरी दिल्ली

संलग्नक:-

- (i) अनुलग्नक I- नियम और शर्तें।
- (ii) अनुलग्नक II- तकनीकी के लिए प्रारूप
- (iii) अनुलग्नक III- तकनीकी के लिए प्रारूप

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त (प्रशासन) जीएसटी, उत्तर दिल्ली।
2. अधीक्षक (सतर्कता) जीएसटी, उत्तर दिल्ली
3. अधीक्षक (कंप्यूटर) जीएसटी, उत्तर दिल्ली।
4. सहायक आयुक्त (सीसीओ), दिल्ली जोन को सीजीएसटी दिल्ली जोन की वेबसाइट www.gstdelhizone.gov.in पर अपलोड करने के लिए
5. आम जनता के लिए नोटिस बोर्ड।

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)
जीएसटी उत्तरी दिल्ली

अनुलग्नक I

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) उत्तरी दिल्ली के प्रधान आयुक्त कार्यालय में उपयोग के लिए अनुबंध की अवधि पर वाणिज्यिक संख्या वाली कार को किराए पर लेने के लिए निविदा के नियम और शर्तें।

1. वाहन नवीनतम मेक/मॉडल की नई कार होनी चाहिए, जो वर्ष 2015 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और अच्छी स्थिति में हो और व्यापक बीमाकृत हो। वाहन/वाहनों को सभी निर्धारित मानदंडों जैसे प्रदूषण मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए और संबंधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य अन्य सभी मानदंडों का भी पालन करना चाहिए। प्रदान किए गए वाहन स्वीकृत वाणिज्यिक वाहन होने चाहिए।
2. विक्रेता को वाहन/वाहनों में पिछली सीट पर सीट कवर/तौलिया/और पंखा उपलब्ध कराना चाहिए।
3. कोई डीजल/पेट्रोल वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। केवल सीएनजी वाहन उपलब्ध कराए जाने हैं जिनमें वाणिज्यिक संख्या हो।
4. अनुबंध 31.12.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। अनुबंध को जीएसटी दिल्ली उत्तर के प्रधान आयुक्त द्वारा आपसी समझ से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, अनुबंध अवधि के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की संतुष्टि के अधीन।
5. निविदा में उद्धृत राशि में चालक की मरम्मत और वाहन के रखरखाव के वेतन और भत्ते, वाहन का व्यापक बीमा, वाहन की ईंधन लागत, तेल और अन्य सभी घटना व्यय सहित सभी कर, शुल्क, टोल जुर्माना, जुर्माना, पार्किंग शुल्क आदि शामिल होंगे। यह कार्यालय विक्रेता द्वारा अपनी वित्तीय बोली में उल्लिखित राशि के अलावा अन्य किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा, जिसके लिए लागू जीएसटी को छोड़कर अनुबंध दिया गया है। समय और दूरी की गणना रिलीज के समय और स्थान पर रिपोर्ट करने के लिए समय और स्थान से की जाएगी।
6. परिवहन/सेवा प्रदाता महीने के सभी दिनों (25-26 दिन या 30-31 दिन जैसा भी मामला हो) पर वाहन प्रदान करेगा, भले ही केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों सम-विषम प्रतिबंध या कोई अन्य प्रतिबंध लागू/प्रचलित हों। यदि महीने के किसी भाग के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है, तो किसी भी कारण से, विक्रेता को भुगतान महीने के हिस्से के लिए आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
7. विभाग द्वारा गैरेज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
8. सेवा प्रदाता एक समर्पित ड्राइवर को नियुक्त करेगा जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और शहर की सड़कों के साथ पर्याप्त अनुभव, प्रदर्शन और परिचित हो। समर्पित वाहन और चालक को हायरिंग अथॉरिटी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं बदला जाएगा। वाहन/चालक को बदलने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी।
9. चालक पर्याप्त रूप से साक्षर और अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। उसे यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। ड्राइवर ड्यूटी के दौरान सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन

- करेगा। वह साफ-सुथरी पूरी तरह से सफेद वर्दी पहने होगा और काम करने की स्थिति में एक मोबाइल फोन ले जाएगा जिसके लिए विभाग द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. सेवा प्रदाता और चालक अधीक्षक (मुख्यालय) वाहन के प्रभारी के साथ-साथ उपयोगकर्ता जिसे वाहन सौंपा जाएगा के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
 11. सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन में हमेशा पूरी यात्रा को कवर करने के लिए पर्याप्त ईंधन हो और वाहन के खराब होने की स्थिति में तुरंत वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करें। वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता की स्थिति में मासिक बिल से 1500/- रुपये प्रतिदिन की कटौती की जाएगी।
 12. सेवा प्रदाता उक्त किराए के वाहन की दैनिक सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करेगा। वाहन में साफ-सुथरे सीट कवर और फ्रेशनर होने चाहिए।
 13. किसी दुर्घटना की स्थिति में सेवा प्रदाता सभी दावों/खर्चों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। वह इस कार्यालय को किसी भी नुकसान / संपत्ति के नुकसान या चालक की ओर से लापरवाही या वाहन के खराब रखरखाव के कारण किसी भी कानूनी खर्च सहित जीवन की क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा।
 14. कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद बिल प्रस्तुत करने पर उचित समय के भीतर भुगतान किया जाएगा। विक्रेता को बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम, बैंक कोड, आईएफएस कोड जहां ई-भुगतान किया जाएगा, का विवरण जमा करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए पहले बिल के साथ एक रद्द ब्लैंक चेक प्रदान किया जाना चाहिए।
 15. सेवा प्रदाता के पास जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए या यह बताते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि वह जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सेवा प्रदाता/कंपनी/फर्म के जीएसटी पंजीकरण की प्रति सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए, यदि पंजीकृत है। उद्धृत दरें जीएसटी को छोड़कर होनी चाहिए। इस संबंध में विभाग किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 16. कार किराए पर लेने का मासिक बिल, सभी प्रकार से पूर्ण की गई लॉग बुक के साथ, सत्यापन और भुगतान के लिए सकारात्मक रूप से अगले महीने की 7 तारीख तक इस कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। यदि प्रस्तुतीकरण में कोई विसंगति है, तो इसे अधीक्षक (मुख्यालय) या निरीक्षकों (मुख्यालय) द्वारा प्रस्तुत करने के 7 (सात) दिनों के भीतर सेवा प्रदाता के ध्यान में लाया जाएगा।
 17. वाहन इस कार्यालय के अनन्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
 18. वाहन के लिए समय और माइलेज को दर्शाने वाला दैनिक रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र में एक लॉग बुक में रखा जाना चाहिए और उसमें प्रविष्टियों को संबंधित अनुभाग/अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जिससे वाहन जुड़ा हुआ है।

19. परिवहन विभाग/आरटीओ और किसी भी/सभी अन्य एजेंसियों से सभी आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है और इस कार्यालय द्वारा किसी भी डिफॉल्ट के मामले में कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।
20. वाहन/वाहनों का कोई दुर्घटना इतिहास नहीं होना चाहिए।
21. सेवा प्रदाता को यह वचन देना होगा कि न तो उसे या उसकी फर्म को किसी भी संगठन/सरकारी विभाग द्वारा बोली जमा करने की तिथि को किसी भी कारण से काली सूची में डाला गया है।
22. अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि सेवा प्रदाता या चालक दोषी या लापरवाही या सेवा में कमी या बिना किसी नोटिस के अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। सामान्य स्थिति में भी किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
23. प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए किसी या सभी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
24. वाहन की आपूर्ति के लिए चयनित/वेंडरों को प्रधान आयुक्त कार्यालय जीएसटी उत्तर, दिल्ली सी.आर.बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली जहां तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में उल्लिखित नियम और शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
25. इस समझौते की अवधि के दौरान कोई भी मामला जो विशेष रूप से इस समझौते द्वारा कवर नहीं किया गया है, का निर्णय जीएसटी उत्तर के प्रधान आयुक्त, दिल्ली सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
26. निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले किराये के लिए पेश किए जा रहे वाहनों की स्थिति, रखरखाव और अन्य मापदंडों के लिए निरीक्षण किया जाएगा।
27. कोई भी विक्रेता जिसके पास एक या अधिक वाहन हैं, वह भी अपने वाहन को किराए पर देने की पेशकश कर सकता है। विभाग अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।
28. प्रस्तावित वाहनों को प्रधान आयुक्त द्वारा इस प्रकार नियुक्त समिति द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयुक्त पाये गये वाहन पर ही विचार किया जायेगा। 28. समिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार वाहन को फिट नहीं पाए जाने पर अन्य विक्रेता/विक्रेताओं की वित्तीय बोलियां भले ही कम हों, सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
29. निरीक्षण समिति वाहनों का निरीक्षण करेगी और वित्तीय मूल्यांकन के लिए केवल फिट पाए गए वाहनों पर विचार किया जाएगा।
30. अनुबंध का चयन और पुरस्कार वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त उच्चतम स्कोर के आधार पर किया जाएगा। वित्तीय बोली की गणना के लिए उदाहरण निम्नानुसार है: -

बोलीदाता	बोली में उद्धृत राशि	राशि की गणना**	सामान्यीकृत स्कोर#
बोलीदाता एल1	1000	1000x100/1000	100

बोलीदाता L2	1025	1000x100/1025	97.56
बोलीदाताL3	1050	1000x100/1050	95.24

** अंश एल1 द्वारा उद्धृत राशि होगी और हर संबंधित बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत राशि होगी। इस उदाहरण के अनुसार बोलीदाता एल1 अधिकतम अंतिम अंक प्राप्त करने वाला सफल बोलीदाता होगा।

31. वित्तीय मूल्यांकन में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को ठेका दिया जाएगा। वाहनों की कुल आवश्यकता पूरी होने तक सभी विक्रेताओं द्वारा दिए जाने वाले वाहनों को कुल अंक उच्चतम से निम्नतम (एल 1 से उच्च कोटेशन) तक ले जाया जाएगा।
32. यदि उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला बोलीदाता वाहनों की आवश्यक संख्या प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो उच्चतम संचयी स्कोर के साथ अगले बोलीदाता/ओं पर तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि वाहनों की कुल आवश्यकता पूरी/पूरी नहीं हो जाती।

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)
जीएसटी उत्तरी दिल्ली

अनुलग्नक-II

वाहन किराए पर लेने के लिए तकनीकी बोली

भाग- एक

क्र.सं	फर्म का नाम, पिन कोड के साथ पता, फोन नंबर और ई-मेल पता	
1	फर्म/कंपनी के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	
2	यदि लागू हो तो फर्म का पैन नंबर (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
3	जीएसटी पंजीकरण संख्या यदि पंजीकृत है	

भाग-बी

वाहन की जानकारी

मिड साइज़	क्र.स.	मॉडल और निर्मित का वर्ष	पंजीकरण संख्या (आरसी की प्रति संलग्न करें)
स्माल साइज़			

घोषणा (अनुबंध-II का भाग)

1. मैं/हम वचन देते हैं कि, मैंने/हमने अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है और प्रस्तावित कार्य के मापदंडों को समझ लिया है और उनका पालन करेंगे।
2. मैं/हम आगे वचन देते हैं कि इस निविदा में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है।

प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर दिनांक सहित:

नाम और पूरा पता:

अनुलग्नक-III

वाहनों को किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली (दरों के लिए प्रदर्शन)

1	ठेकेदार/फर्म/कंपनी का नाम और पता	
2	मालिक/साझेदार/निदेशक का नाम	
3	छोटे आकार के लिए प्रति माह उद्धृत दर (जीएसटी को छोड़कर सभी कर शुल्क/लेवी सहित)	
4	प्रति माह उद्धृत दर (जीएसटी को छोड़कर सभी कर शुल्क/लेवी सहित)मध्य आकार	

प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर दिनांक सहित:

नाम और पूरा पता: